

No.21/7/2023-CS.I (Coord.)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
(CS.I Division)

Lok Nayak Bhawan, New Delhi
Dated the 10th May, 2023


OFFICE MEMORANDUM

Sub: Vacancy Circular (VC) for engagement of retired Central Government Employees as consultant in Hindi Division of Ministry of Power - Regarding.

Reference is invited to Ministry of Power's Circular No. 2-18/9/2021-Adm.II(Part-2) dated 28.04.2023 (copy enclosed) for inviting applications for engagement of retired Central Government Employees as consultant in Hindi Division of Ministry of Power. The last date of the application is 15th May 2023.

2. In case of any further clarification, applicants are requested to contact the concerned Ministry/Department/Office directly.

Encl: As above


(Sunil Kumar)

Under Secretary to Government of India

To
(through DoPT's website): (For Retired Officers)

File No.2-18/9/2021-Adm.II (Part-2)
Government of India
Ministry of Power

Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi, Dated: 28.04.2023

CIRCULAR

Subject: **Engagement of retired Central Government Employees as consultant in Hindi Division of Ministry of Power - Reg**

The Ministry of Power intends to engage two Consultants (Official Language) to assist the Ministry in undertaking comprehensive activities to promote use of Official Language in official work in the Ministry and also to provide assistance in translation of documents, Implementation of OL policy and relevant assignments.

2. Accordingly, applications are invited from **retired Central Government employees** who retired from the post of Assistant Director/ Joint Director or equivalent post. The interested candidates may email their applications to adm2-power@nic.in, latest by 15th May 2023, in the prescribed **proforma**. Applications received thereafter will not be entertained.

3. AGE

Age should not be more than 65 years on the date of advertisement.

4. REMUNERATION

On selection, the consultant will be paid a fixed monthly consolidated remuneration arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement. The amount of remuneration so fixed shall remain unchanged for the term of the contract. There will be no increment/percentage increase during the contract period. No Increment and Dearness Allowance shall be allowed during the term of contract.

5. ALLOWANCE

No Allowance of any kind would be admissible except TA which should not exceed the rate admissible at the time of retirement. Paid leave of absence may be allowed at the rate of 1.5 days for each completed month of service. Accumulation of leave beyond a calendar year will not be allowed.

Sanu
4/5

56 (2)

hy
24/5/2023

M. Arun

6. DURATION OF ENGAGEMENT

The duration of engagement will be for one year from the date of initial engagement which may be curtailed or extended at the sole discretion of the Ministry and the same will be binding on the consultant. The appointment of the consultant would be on full-time basis and he/she will not be permitted to take-up any other assignment during the period of consultancy. The consultant shall be required to observe the normal office timing and may also be called upon to attend the office on Saturday, Sunday or any holiday in case of exigencies of work.

7. QUALIFICATION AND EXPERIENCE

He/she should be a Retired employee of Central Government having considerable experience of translation work and Implementation of OL policy. He/she must have excellent command on both English & Hindi languages as well as adequate experience of conducting workshops/conferences/symposia etc. He/She should have good communication and inter-personal skills, fair knowledge of Computer applications such as MS Word, Power Point, Excel, Unicode, typing on In-script Keyboard etc. Candidates having expertise in office procedure, having qualification and experience of journalism and publication of books will be given priority.

8. PROCEDURE FOR SELECTION

Engagement of consultants shall be done by inviting applications on the website of Ministry of Power (<https://powermin.nic.in>), Department of Personnel and Training (<https://dopt.gov.in>) and the Department of Official Language (<http://rajbhasha.gov.in>) only, in the manner as follows:

(a) A circular/advertisement shall be uploaded on the website of the Ministry inviting applications from willing/eligible persons for engagement as Consultants. The closing date for submission of application would be at least one week from the date of issue of this circular.

(b) A Screening-cum Selection Committee in the Ministry shall first shortlist the applications on the basis of the criteria decided by it. Thereafter, the Committee may hold a personal interaction with the shortlisted candidates, if required.

9. CONFIDENTIALITY OF DATA AND DOCUMENTS

The intellectual property rights (IPR) of the data collected as well as deliverables produced for the Ministry/ Department/ Organization shall remain with the Ministry/Department/Organization. No one shall utilize or publish or disclose or part with, to a third party, any part of the data or statistics or proceedings or information collected for the purpose of his assignment or during the course of assignment for the Ministry without the express written consent of the Ministry. The consultant shall be bound to hand-over the entire set of records of assignment to the Ministry before the

expiry of the contract and before the final payment is released by the Department. The consultant would be required to sign a Non-disclosure undertaking as per **Annexure-I**.

10. CONFLICT OF INTEREST

The Consultant appointed by the Ministry shall in no case represent or give opinion or advice to other in any matter which is adverse to the interest of the Ministry nor will he indulge in any activity outside the terms of the contractual assignment. The consultant shall not claim any benefit/compensation/absorption/regularization of service with this Ministry.

11. TERMINATION OF ENGAGEMENT

Ministry reserves the right to terminate the engagement forthwith in following conditions:

- i. The Consultant is unable to address the assigned work;
- ii. Quality of the work is not found to the satisfaction of the Department;
- iii. The Consultant fails in timely achievement of the milestones as finally decided by the Ministry; and
- iv. The consultant is found lacking in honesty and integrity.

Note: The Ministry reserves the right to terminate the engagement, by serving fifteen (15) days' written notice on the Consultant. Termination shall be affected on the day, right after the completion of fifteen (15) days of delivery of such notice.


12. RIGHTS OF THE MINISTRY

The Ministry has the right to cancel the advertisement, and not go for engagement of Consultant, at any stage. At any stage, it may accept or reject any or all applications, without giving any reasons there for, whatsoever.

13. Tax Deduction at source

The Income Tax or any other tax will be deducted at source as per Government Instructions. Necessary TDS Certificate will be issued to them.

Encl: As above



(Sanjay Kumar)

Under Secretary to the Government of India

Copy to:

1. The Under Secretary, CS-I Division, DoPT, Khan Market, New Delhi with a request to upload the circular on DoPT's Website.
2. The Director (Service), Department of Official Language with request to upload on their website.
3. In-charge-NIC, Ministry of Power for uploading on the website of the Ministry.
4. AD (OL), Ministry of Power for information.
5. E-office Notice Board.

PROFORMA

Application for appointment of Consultant in Ministry of Power

1.	Name in full (Block Letters)				
2.	Date of Birth				
3.	Date of Superannuation from Govt. Service				
4.	Educational Qualifications				
5.	Complete Residential Address				
6.	Telephone/Mobile No.				
7.	E-mail ID				
8.	Position held since entry into service				
9.	Last pay drawn (Copies of LPC and PPO should be enclosed)				
10.	Pension drawn				
11.	Organisation where served and designation	Scale of Pay & Pay	From	To	Nature of work performed

II. Additional relevant information, if any, in support of your suitability for the said engagement. Attach a **separate sheet, if necessary.**

Name & Signature of the applicant:

Place:

Date:

NON-DISCLOSURE UNDERTAKING

To,

The Joint Secretary (Admn.)
Ministry of Power,
Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg,
New Delhi-110001

Sir,

1. I hereby undertake: -

- To treat all the information that comes to my knowledge as part of my duties in this office as confidential information and keep it strictly confidential.
- Not to sell, trade, publish or otherwise disclose to any one in any manner whatsoever including by means of reproduction either in physical, hardcopy, digital or in electronic format.
- To hold such confidential information in trust and confidence both during and after the terms of my engagement.
- Not to engage in any other employment/occupation/consultancy or any other activity during my engagement with Ministry of Power which would otherwise conflict with my obligations towards Ministry of Power.
- To abide by data security policy and related guidelines issued by Ministry of Power.
- Shall not resort any corrupt practices in any aspect and at any stage during the tenure of engagement.

2. In the event of my termination of employment for any reason whatsoever, I shall promptly surrender and deliver to Ministry of Power any records/material, equipment, documents or data which is of confidential nature.

3. I shall keep Ministry of Power informed of any change in my address or contact details during the period of my engagement.

4. I understand that I can be terminated at any point of time for breach of the above conditions and can be proceeded against under the relevant laws for the time being in force.

5. For the purpose of this undertaking, Confidential Information means any information received from any source, whether in physical, electronic or in digital format.

Yours faithfully,

(Signature)

Name:

Address:

Dated:

Personal Contact No

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक: 28.04.2023

परिपत्र

विषय: विद्युत मंत्रालय के हिंदी प्रभाग में सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों की परामर्शदाता के रूप में नियुक्ति के संबंध में।

विद्युत मंत्रालय, मंत्रालय में शासकीय कार्य में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की व्यापक गतिविधियों में सहायता करने और साथ ही दस्तावेजों के अनुवाद, राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और प्रासंगिक कार्यों में सहायता करने हेतु दो परामर्शदाताओं (राजभाषा) की नियुक्ति करने का इच्छुक है।

2. तदनुसार, सहायक निदेशक/संयुक्त निदेशक या समकक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार अपने आवेदन निर्धारित प्रोफार्मा में adm2-power@nic.in पर दिनांक 15 मई, 2023 तक ई-मेल कर दें। इसके बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. आयु

आयु विज्ञापन की तारीख को 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

4. पारिश्रमिक

चयन होने पर, परामर्शदाता को सेवानिवृत्ति के समय लिए गए वेतन से मूल पेंशन की कटौती करते हुए एक निश्चित मासिक समेकित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। इस प्रकार निर्धारित पारिश्रमिक की राशि अनुबंध की अवधि के लिए अपरिवर्तित रहेगी। अनुबंध अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि/प्रतिशत वृद्धि नहीं होगी। अनुबंध की अवधि के दौरान किसी वेतन वृद्धि तथा महंगाई भत्ते की अनुमति नहीं दी जाएगी।

5. भत्ता

यात्रा भत्ता, जो सेवानिवृत्ति के समय स्वीकार्य दर से अधिक नहीं होगा, को छोड़कर किसी भी प्रकार का कोई भत्ता स्वीकार्य नहीं होगा। सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.5 दिनों की दर से भुगतान सहित अनुपस्थिति की अनुमति दी जाएगी। कैलेंडर वर्ष से आगे अवकाश के संचय की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. नियुक्ति की अवधि

नियुक्ति की अवधि प्रारंभिक नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के लिए होगी जिसे मंत्रालय के पूर्ण विवेक पर घटाया या बढ़ाया जा सकता है और यह परामर्शदाता पर बाध्यकारी होगा। परामर्शदाता की नियुक्ति पूर्णकालिक आधार पर होगी और उसे परामर्श की अवधि के दौरान कोई अन्य कार्य करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

परामर्शदाता को सामान्य कार्यालय समय का पालन करना होगा और कार्य की आकस्मिकता के मामले में शनिवार, रविवार या किसी अवकाश के दिन भी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा जा सकता है।

7. योग्यता और अनुभव

वह केंद्र सरकार का सेवानिवृत्त कर्मचारी हो जिसे अनुवाद कार्य और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो। उसका अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उत्कृष्ट अधिकार होने के साथ-साथ उसे कार्यशालाओं/सम्मेलनों/संगोष्ठियों आदि के संचालन का पर्याप्त अनुभव प्राप्त हो। उसे अच्छा संप्रेषण एवं अंतर-व्यक्तिगत कौशल, कम्प्यूटर अनुप्रयोगों जैसे कि एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, यूनिकोड, इन-स्क्रिप्ट की-बोर्ड पर टाइपिंग आदि का उचित ज्ञान प्राप्त हो। कार्यालय प्रक्रिया में विशेषज्ञता रखने वाले, पत्रकारिता तथा पुस्तकों के प्रकाशन में योग्यता एवं अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।

8. चयन प्रक्रिया

परामर्शदाताओं की नियुक्ति केवल विद्युत मंत्रालय (<https://powermin.nic.in>), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (<https://dopt.gov.in>) तथा राजभाषा विभाग (<http://rajbasha.com>) की वेबसाइट पर आवेदन आमंत्रित करते हुए, निम्नानुसार की जाएगी:

- (क) परामर्शदाताओं के रूप में नियुक्ति हेतु इच्छुक/पात्र व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करते हुए मंत्रालय की वेबसाइट पर एक परिपत्र/विज्ञापन अपलोड किया जाएगा। आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि इस परिपत्र के जारी होने की तिथि से कम से कम एक सप्ताह की होगी।
- (ख) मंत्रालय की स्क्रीनिंग-सह-चयन समिति द्वारा पहले निर्णीत मानदंडों के आधार पर आवेदनों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके पश्चात्, समिति, यदि आवश्यक हो, तो शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों से व्यक्तिगत साक्षात्कार कर सकती है।

9. आंकड़ों तथा दस्तावेजों की विश्वसनीयता

मंत्रालय/विभाग/संगठन के लिए एकत्र किए गए आंकड़ों के साथ-साथ प्रदेय उत्पादों का बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) मंत्रालय/विभाग/संगठन का होगा। कोई भी व्यक्ति मंत्रालय की स्पष्ट लिखित सहमति के बिना मंत्रालय के लिए उसके नियत कार्य के प्रयोजन हेतु अथवा नियत कार्य की प्रवृत्ति के दौरान संगृहीत किसी डेटा अथवा आंकड़े अथवा कार्यवाहियों अथवा सूचना के किसी हिस्से को किसी तृतीय पक्ष के लिए उपयोग अथवा प्रकाशित अथवा प्रकट अथवा पृथक नहीं करेगा। परामर्शदाता अनुबंध की समाप्ति से पूर्व और विभाग द्वारा अंतिम भुगतान जारी किए जाने से पहले नियत कार्य के रिकॉर्ड के संपूर्ण सेट को मंत्रालय को हस्तांतरित करने हेतु बाध्य होगा। परामर्शदाता को **अनुबंध-1** के अनुसार गैर-प्रकटीकरण वचन-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

10. हितों का टकराव

मंत्रालय द्वारा नियुक्त परामर्शदाता किसी भी स्थिति में किसी मामले में किसी अन्य को कोई ऐसी राय अथवा सलाह नहीं देगा जो मंत्रालय के हित के विपरीत हो, न ही वह संविदागत नियत कार्य की शर्तों से इतर किसी गतिविधि में संलिप्त होगा। परामर्शदाता इस मंत्रालय में सेवा के किसी लाभ/क्षतिपूर्ति/आमेलन/विनियमन का दावा नहीं करेगा।

11. नियुक्ति की समाप्ति

मंत्रालय को निम्नलिखित स्थितियों में नियुक्ति को तत्काल समाप्त करने का अधिकार है:

- i. परामर्शदाता नियत कार्य पर ध्यान देने में असमर्थ हो;
- ii. कार्य की गुणवत्ता विभाग की संतुष्टि के अनुरूप नहीं पाई गई हो;
- iii. परामर्शदाता मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप से निर्णीत लक्ष्यों को समय से प्राप्त करने में विफल रहे; और
- iv. परामर्शदाता में ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा का अभाव हो।

टिप्पणी: मंत्रालय के पास परामर्शदाता को पंद्रह (15) दिनों का लिखित नोटिस देकर नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है। यह समाप्ति ऐसी नोटिस की डिलीवरी के पंद्रह (15) दिन पूरे होने के ठीक बाद से प्रभावी होगी।

12. मंत्रालय के अधिकार

मंत्रालय को, किसी भी चरण में, इस विज्ञापन को रद्द करने और परामर्शदाता की नियुक्ति की प्रक्रिया जारी नहीं रखने का अधिकार है। यह किसी भी चरण में, किसी प्रकार का कोई कारण बताए बिना, किसी अथवा सभी आवेदनों को स्वीकार अथवा रद्द कर सकता है।

13. स्रोत पर कर कटौती

सरकारी निर्देशों के अनुसार, स्रोत पर आयकर अथवा किसी अन्य कर की कटौती की जाएगी। उन्हें आवश्यक टीडीएस प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

संलग्नक: यथोपरि

(संजय कुमार)

(संजय कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष : 2371 5327

प्रति:

1. अवर सचिव, सीएस-1 प्रभाग, डीओपीटी, खान मार्केट, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को डीओपीटी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
2. निदेशक (सेवा), राजभाषा विभाग को उनकी वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।
3. प्रभारी-एनआईसी, विद्युत मंत्रालय को मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. सहायक निदेशक (राजभाषा), विद्युत मंत्रालय को सूचनार्थ।
5. ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड।

विद्युत मंत्रालय में परामर्शदाता की नियुक्ति हेतु आवेदन

1.	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में)				
2.	जन्मतिथि				
3.	सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति की तिथि				
4.	शैक्षिक योग्यताएं				
5.	पूरा आवासीय पता				
6.	टेलीफोन/मोबाइल नं.				
7.	ई-मेल आईडी				
8.	सेवा में प्रवेश के बाद से धारित पद				
9.	अंतिम आहरित वेतन (एलपीसी तथा पीपीओ की प्रतियां संलग्न करें)				
10.	आहरित पेंशन				
11.	संगठन एवं पदनाम	वेतनमान एवं वेतन	से	तक	कार्य की प्रकृति

II. उक्त नियुक्ति के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन में अतिरिक्त संबद्ध जानकारी, यदि कोई हो। यदि आवश्यक हो तो एक अलग शीट संलग्न करें।

आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर:

स्थान:

तिथि:

गैर-प्रकटीकरण वचन-पत्र

सेवा में,

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
विद्युत मंत्रालय,
श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110001

महोदय,

1. मैं एतद्वारा वचन देता हूँ कि: -

- इस कार्यालय में मेरे कर्तव्य के हिस्से के रूप में मेरी जानकारी में आई किसी भी सूचना को मैं गोपनीय सूचना मानूंगा और इसे पूर्णतया गोपनीय रहूंगा।
- किसी भी सूचना की वास्तविक, हार्डकॉपी, डिजिटल अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुनः प्रस्तुत साधन सहित किसी भी ढंग से किसी को भी विक्रय, व्यापार, प्रकाशित अथवा प्रकट नहीं करूंगा।
- ऐसी गोपनीय सूचना को अपनी नियुक्ति अवधि के दौरान अथवा इसके बाद भी विश्वास में एवं गोपनीय रखूंगा।
- विद्युत मंत्रालय में अपनी नियुक्ति के दौरान ऐसे किसी अन्य रोजगार/व्यवसाय/परामर्श या किसी अन्य गतिविधि में संलिप्त नहीं हूंगा जो अन्यथा विद्युत मंत्रालय के प्रति मेरे दायित्वों के प्रतिकूल हो।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी डेटा सुरक्षा नीति तथा संबंधित दिशानिर्देशों का पालन करूंगा।
- नियुक्ति की अवधि के दौरान किसी भी स्थिति में और किसी भी स्तर पर भ्रष्ट व्यवहार नहीं करूंगा।

2. किसी भी कारण से मेरी नियुक्ति समाप्त होने की स्थिति में, मैं विद्युत मंत्रालय को गोपनीय प्रकृति का कोई भी रिकॉर्ड/सामग्री, उपकरण, दस्तावेज अथवा डेटा तुरंत अभ्यर्पित एवं डिलीवर करूंगा।

3. मैं विद्युत मंत्रालय को अपनी नियुक्ति की अवधि के दौरान अपने पते और संपर्क ब्यौरे में किसी परिवर्तन के बारे में सूचना देता रहूंगा।

4. मैं समझता हूँ कि उपर्युक्त शर्तों के उल्लंघन के लिए किसी भी समय मेरी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं और उस समय लागू संबंधित कानूनों के अंतर्गत मेरे विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

5. इस वचन-पत्र के प्रयोजन के लिए, गोपनीय सूचना से किसी स्रोत से वास्तविक, इलेक्ट्रॉनिक अथवा डिजिटल प्रारूप में प्राप्त कोई सूचना अभिप्रेत है।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

नाम:

पता:

दिनांक:

व्यक्तिगत फोन नं.: